न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2022 **दायर दिनांकः 26.07.2022**

उनवान

1. राजेन्द्र उम्र 40 वर्ष पुत्र जोधराज जाति नाई निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी रेतवाली कोटा जिला कोटा राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 27.03.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी पटवार हल्का दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 67 का ख.नं. 1048 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 1054 का रकबा 0.13 हे०, ख.नं. 1082 का रकबा 0.49 हे०, ख.नं. 1170 का रकबा 0.97 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.85 हेक्टर आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम प्रभुलाल गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रभुलाल प्रार्थी के काका का नाम है तथा प्रार्थी के पिता का नाम जोधराज है। प्रार्थी के दस्तावेजों व ग्राम पंचायत दीलोद हाथी के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम जोधराज सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभुलाल के स्थान पर सही नाम जोधराज दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम जोधराज सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभुलाल के स्थान पर सही नाम जोधराज दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभुलाल के स्थान पर सही नाम जोधराज दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दीलोदहाथी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 67, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत दीलोदहाथी प्रमाण पत्र व शपथ पत्र रोहित पुत्र दिनेश जाति धाकड निवासी हाथीदिलोद का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल दीलोद हाथी की आराजी खाता संख्या 67 का ख.नं. 1048 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 1054 का रकबा 0.13 हे०, ख.नं. 1082 का रकबा 0.49 हे०, ख.नं. 1170 का रकबा 0.97 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.85 हेक्टर आराजी में सहखातेदार राजेन्द्र पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र जोधराज उर्फ प्रभूलाल दर्ज किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

–ः क्रियात्मक आदेश ः–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested